स्टेट बैंक आफ इन्दौर में वकीलों की नियुक्ति करने हेतु मानदंड

1112. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर में मामलों की पैरवी करने हेतु वकीलों की नियुक्तियां किस आधार पर की जाती हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य शाखाओं में वकीलों की नियुतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) या क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में ऐसी नियुक्तियां करते समय नियमों का पालन नहीं किया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) इन नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक/सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, वकीलों के पैनल तैयार करते हैं। इस प्रकार के पैनल तैयार करने के लिए वकीलों की कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा मुख्य मानदंड होता है।

(ख) बैंक दिल्ली स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय और दिल्ली की शाखाओं के लिए सामान्य पैनल तैयार करता है। क्षेत्रीय कार्यालय ने इस समय दिल्ली केन्द्र के लिए पांच स्थानीय वकीलों का पैनल बनाया है। जिनमें से पिछले दो वर्षों के दौरान पैनल पर रखे गए वकील भी शामिल हैं।

(ग) बैंक ने ऐसे किसी मामले के बारे में सूचना नहीं दी है जिसमें दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय/शाखाओं में वकीलों को पैनल पर रखे जाने संबंधी मामले में मार्गनिर्देशों का उल्लंघन हुआ हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Request for Construction of Yatri Niwas at Nagarjuna Sagar

1113. DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRIMATI RENUKA CHOUDHURY:

Wil the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether the Andhra Pradesh Government requested to sanction funds for construction of a Yatri Niwas at Nagarjuna Sagar in Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof and the amount sanctioned for this purpose; and

(c) if not, the reasons for not acceding to the request of the Andhra Pradesh Government?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI SRIKANTA JENA): (a) to (c). No proposal has been received from the State Government for the construction of a Yatri Niwas at Nagarjuna Sagar. However, an amount of Rs. 41.88 lakhs has been sanctioned by the Govt. of India for the development of Nagarjuna Sagar as tourist destination, for the following schemes:—

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Scheme	Year of Sanction	Amount Sanctioned
1.	Construction of cafeteria at Nagarjuna Sagar	1985-86	23.70
2.	Provision of water sports at Nagarjuna Sagar	1988-89	4.74
3.	Construction of Tourist Bungalow at Nagarjuna Sagar	1990-91	8.50
4.	Construction of Public conveniences at Nagarjuna Sagar	1993-94	4.94